माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन सभा पटल पर रखे जाने वाले मामलों के संबंध में उनको अनुमति प्रदान की जाती है, जिन माननीय सदस्यों के पाठ स्वीकृत हुए हैं। वे अपने अनुमोदित पाठ को 20 मिनट के अंदर लिखित रूप से सभा पटल पर रख दें।

Title: Regarding setting up of a centre of National Institute of Electronics and Information Technology in Maharajganj Parliamentary Constituency.

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज लोकसभा, बिहार में कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में युवाओं/युवतियों एवं छात्र/छात्राओं को फाउंडेशन कोर्स, डिप्लोमा एवं एडवांस डिप्लोमा कोर्स तथा इस क्षेत्र में उच्च स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण देने वाली कोई संस्था नहीं है। ऐसी संस्थाओं के अभाव में हमारे संसदीय क्षेत्र के वैसे छात्र/छात्राओं को जिनकी रुचि कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है, उन्हें शिक्षण-प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस क्षेत्र में शिक्षण प्रशिक्षण के लिए हमारे संसदीय क्षेत्र से प्रत्येक वर्ष हजारों हजार की संख्या में छात्र-छात्राएं अन्यत्र दूरदराज के क्षेत्रों में जाते हैं। इस परिस्थिति में शिक्षण-प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं/युवतियों को अनेकों प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। साथ ही अत्यधिक आर्थिक खर्च का बोझ भी उठाना पड़ता है।

इसलिए मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे संसदीय क्षेत्र में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत संस्था, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नाइलिट) के सेंटर की स्थापना सारण जिला के अंतर्गत जलालपुर प्रखंड मुख्यालय जलालपुर, बनियापुर प्रखंड मुख्यालय बनियापुर या सिवान जिला अंतर्गत महाराजगंज अनुमंडल मुख्यालय महाराजगंज में कराया जाए।